

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) इतिहास के निम्नांकित कार्मिक का स्थानान्तरण/ संशोधन उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है-

क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/स्थानान्तरण/इतिहास/2019-20

दिनांक-29.09.19

क्रम	नाम कार्मिक श्री/श्रीमती/शुभ्री	subject	कहाँ से राउमावि/राबाउमावि	जिला	कहाँ को राउमावि/राबाउमावि	जिला
1	2	3	4	5	6	7
1	अनिता कुमारी	hist	फरासपुर-धीलापुर से स्थानान्तरणाधीन रा.प.वितलांगिया पिपराली के स्थान पर	sikar	श.कल्याण सिंह राउमावि खूड-दातारामगढ	sikar
2	महेन्द्र सिंह ईटावा	hist	श्रीमती गोरी देवी चौधरी राउमावि बगवारा से स्थानान्तरणाधीन भीलों का हाथला के स्थान पर	barmer	लालवास-ज. रामगढ	jaipur
3	कैलाश चन्द चौधरी	hist	सिरस	tonk	मण्डावर-टोंक	tonk
4	दया शंकर अग्रवाल	hist	ढाढण-फतेहपुर	sikar	baba narayan das saiwad-shahpura	jaipur
5	सुरेश चन्द खाती	hist	baba narayan das saiwad-shahpura	jaipur	हरपुरा-सरवाड़	ajmer
6	टीका राम मीणा	hist	हालीवाड़ा सिरोही	sirohi	बा. रेणी	ahwar
7	मोहन लाल मीणा	hist	रायपुर-पाटन से स्थानान्तरणाधीन खारिया नीवं-पाली के स्थान पर	sikar	शाहीद हरियाल यदव उमावि झकराना- बहरोड़	ahwar
8	ANITA KUMARI BUARNIA	hist	TAPIPLYA से स्थानान्तरणाधीन कोट बालियान-बाली पाली के स्थान पर	SIKAR	बा. रायपुर	PALI
9	Mahendra singh garhwal	hist	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL, REENGUS, NP REENGUS_WARD NO.	SIKAR	कलबकलां-रायपुर	PALI

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। क्रम संख्या 5, 8 तथा 9 पर अंकित कार्मिकों को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा। जिन कार्मिकों का परीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। RVRES कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित/ निलम्बित/कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं निदेशालय को सूचित कर आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के बाद ही नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावे। एम.एड. योग्यताधारी कार्मिकों को ही डाईट में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे। पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावे।



(नयमल डिपेंड)


आई.एस.ए.  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सा-2/स्थानान्तरण/इतिहास/2019-20

दिनांक-29.09.2019

- 3 शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 4 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा / जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक
- 5 सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्धित कार्मिकों के नियमानुसार कार्यग्रहण / कार्यमुक्ति की कार्यवाही तीन दिवस के भीतर सम्पादित करवाकर निदेशालय को प्रगति दें।
- 6 सम्बन्धित शाला / संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण / कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावें।
- 7 अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति / कार्यग्रहण की प्रमावी मोनटरिंग
- 8 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु
- 9 सम्बन्धित कार्मिक
- 10 रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
दीकानेर